कार्यालय महाप्रबंधक

मध्य प्रदेश जल निगम मर्यादित

(म.प्र. शासन का उपक्रम)

परियोजना क्रियान्वयन इकाई, सिंगरौली

रजि. कार्यालय : डी विंग, द्वितीय तल, विंध्याचल भवन, भोपाल CIN–U41000MP2012SGC028798

(Website: www.mpjalnigam.mp.gov.in gmsingrauli.mpjn@mp.gov.in)

क्रमांक 1210 /महा.प्रबं./म.प्र.ज.नि.मर्या./परि.क्रि.ई./2022 सिंगरौली, दिनांक 10.08.2022

प्रति

वन मंडल अधिकारी
वन मंडल सिंगरौली (म.प्र.)

विषय:- ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना अंतर्गत वन भूमि पर ROW में पाइप लाइन बिछाने की अनुमति के सम्बन्ध में

सन्दर्भ:-आपका पत्र क्रमांक मा.चि./5971 सिंगरौली दिनांक 04.08.2022 पोर्टल पर प्रेषित दिनांक 08.08.2022

--00--

विषयान्तर्गत लेख है कि इस कार्यालय द्वारा प्रेषित कुल ३० अनुमति प्रकरणों में कार्यवाही आपके विभाग के अंतर्गत विभिन्न स्तरों पर प्रचलित/लंबित है. आपके संदर्भित पत्र द्वारा ऑनलाइन प्रेषित इन सभी प्रकरणों को यह लेख करते हुए वापिस कर दिया गया है कि प्रभावित वन भूमि के बदले गैर वन भूमि वन विभाग को प्रदाय नहीं की गयी है एवं इस कार्यालय द्वारा संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट तैयार कराकर आपको प्रेषित नहीं की गयी है। पत्र में यह भी लेख है कि इस कार्यालय द्वारा बार बार प्रकरण वापिस किये जा रहें है। उपरोक्त सम्बन्ध में वस्तुस्थिति निम्नानुसार है -

1. प्रकरण क्रमांक FP/MP/WATER/145025/2021 एवं FP/MP/WATER/144394/2021 का संयुक्त निरीक्षण लगभग ४ -५ माह पूर्व ही पूर्ण हो चुका है एवं वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु भूमि भी वन विभाग को हस्तांतरित जा चुकी है। अग्रिम कार्यवाही वन विभाग की ओर से लंबित है फिर भी प्रकरण को बिना उपयुक्त कारण दर्शाये वापस कर दिया गया है।

2. इसी प्रकार प्रकरण क्रमांक FP/MP/WATER/151013/2022, FP/MP/WATER/151049/2022, FP/MP/WATER/ 151212/2022,FP/MP/WATER/153290/2022,FP/MP/WATER/151177/2022, FP/MP/WATER/151260/2022, FP/MP/WATER/151774/2022, FP/MP/WATER/156031/2022 में संयुक्त निरीक्षण का कार्य पूर्ण हो चुका है एवं इस कार्यालय के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार इन प्रकरणों में वृक्षों का पातन नहीं किया जाना है एवं पाइप लाइन सड़क के ROW में बिछायी जाना है। अतः वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु भूमि क्यों प्रदाय की जाना है यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। इन प्रकरणों में भी अग्रिम कार्यवाही वन विभाग की ओर से लंबित है।

3. अन्य लंबित प्रकरणों में भी संयुक्त निरीक्षण की कार्यवाही प्रगतिरत है।

अतः अनुरोध है कि जिन प्रकरणों में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु भूमि प्रदान की जाना है उनका प्रकरणवार विवरण प्रेषित किये जाने हेतु संबंधितों को निर्देशित करने का कष्ट करें ताकि कलेक्टर महोदय के समक्ष हस्तांतरण हेतु आवश्यक भूमि का विवरण, कारण सहित, भूमि के आवश्यक हस्तांतरण हेतु प्रस्तुत किया जा सके। साथ ही यह भी अनुरोध है कि जिन प्रकरणों में संयुक्त निरीक्षण पूर्ण हो चुका

है उनके प्रतिवेदन आपके कार्यालय को प्रेषित किये जाने हेतु सम्बंधित परिक्षेत्राधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।

सूचनार्थ प्रेषित।

महाप्रबंधक
म.प्र. जल निगम मर्यादित
परि. क्रिया. ई. सिंगरौली

पृ. क्रमांक 1211/महा.प्रबं./म.प्र.ज.नि.मर्या./परि.क्रि.ई./2022 दिनांक 10.08.2022

प्रतिलिपि:-

1. प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश जल निगम मर्यादित की ओर सूचनार्थ
2. कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला जल एवं स्वच्छता समिति सिंगरौली की ओर सूचनार्थ

महाप्रबंधक
म.प्र. जल निगम मर्यादित
परि.क्रिया.ई. सिंगरौली